तीन तलाक के खिलाफ एमएसडी का ऐलाने जंग

HMO 3/7/04

■ संवाददाता

मुंबई : अगर कुरआन और शरीयत की बात करते हो तो उसके मुताबिक काम भी करो. लेकिन तलाक के मामले में सभी मुस्लिम संगठनें और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुरआन को अलग हटकर फैसला करते हैं. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यदि सही काम नहीं करता तो हम उसे नहीं मानते, हम ऐसे बोर्ड को सिरे से खारिज करते हैं. यह बात मुस्लिम फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष जावेद अख्तर ने कही, वे प्रेस क्लब में मुस्लिम फॉर डेमोक्रेसी (एम.एस.डी.) द्वारा बुलाये गये एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे. यह संवाददाता सम्मेलन मुस्लिम समुदाय में 'तीन तलाक' के चलन पर

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ढुलमुल रवैये के खिलाफ बुलाया गया था.

जावेद अख्तर ने कहा कि एक ओर तो पर्सनल लॉ बोर्ड धर्म की बात करता है दूसरी ओर धर्म के खिलाफ हो रहे तीन तलाक पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करता. उन्होंने कहा कि 'मॉडल निकाहनामा' मुस्लिम महिलाओं की कई संगठनों द्वारा पेश किया गया है. लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड उस पर भी अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रहा है. हम ऐसे बोर्ड को खारिज करते हैं.

ज्ञात हो कि मुस्लिम समाज में पति अपनी पत्नी को यदि तीन बार तलाक, तलाक कह दे तो उसका तलाक हो जाता है, यह प्रथा सरासर गलत है एम.एस.डी. का मानना है कि इस प्रकार तलाक नहीं होता और यह सच भी है कि कई मामलों में पति गुस्से में या शराब के नशे में यदि तीन बार तलाक कह दिया तो पत्नी को पूरी

(शेष पृष्ठ १२ पर)

तलाक (पृष्ठ १से)

जिंदगी खामियाजा भुगतना पड़ता है. जबकि मुसलमानों के पवित्र कुरआन में तलाक का मामला विस्तारपूर्वक बताया गया है. कुरआन के मुताबिक तलाक देने का तरीका है कि यदि पति पत्नी में किसी कारण तलाक की नौबत आ जाये तो एक बार तलाक देकर एक माह इंतजार करना चाहिए. यदि इस बीच भी तालुकात अच्छे नहीं होते तो दूसरा तलाक दिया जाता है, उसके बाद फिर एक माह इंतजार किया जाता है. अगर इस बीच भी संबंध अच्छे नहीं हुए तो फिर तीसरा तलाक दिया जाता है तब जाकर मुसलमान तलाक होता है. लेकिन आजकल एक ही झटके में फटाफट तीन बार तलाक कह दिया और हो गया छुटकारा, यह सरासर गलत है. एम.एस.डी. का मानना है कि जब कुरआन में तलाक के लिए एक रास्ता बता दिया गया है तो फिर उस पर अमल करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या अन्य मुस्लिम संगठनें क्यों नहीं कहती हैं. एमएसडी के उपाध्यक्ष हसन कमाल ने कहा कि इस्लाम में जो पांच बुनियादी बातें बतायी गयी हैं उनके अलावा किसी में भी बदलाव दिया जा सकता है. इस तीन तलाक को भी तर्क करना होगा. उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ४ जुलाई को कानपुर की बैठक में यह बात कही थी कि तीन तलाक की रिवाज को खत्म किया जायेगा. उन्होंने कहा कि यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसा करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं की बात कही तो अन्य मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने इसके खिलाफ देश व्यापी आंदोलन छेड़ने की धमकी तक दे डाली. अब मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी का कहना है कि हम जगह-जगह देश के विभिन्न शहरों के लोगों को इस बारे में जागृत करेंगे कि सही क्या है गलत क्या है? संवाददाता सम्मेलन को जावेद अख्तर हसन कमाल, जावेद आनंद, साजिद रशीद और एस.एम.ए. काजमी ने संबोधित किया.

लेकिन उम्मीद कम ही है कि बोर्ड इस मामले में ऐसा करेगा. हसन कमाल ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की कोई शरई संगठन नहीं है और न ही इसे कोई कानूनी दर्जा प्राप्त है. इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान उसकी बातें मानें. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की बिडंबना यह है कि वह उसका प्रतिनिधि या तो मीडिया तय करती है या सरकार और ऐसे प्रतिनिधि कितना मुस्लिम समाज का भला करेंगे सोचा जा सकता है.

एम.एस.डी. के संगठन सचिव एस.एम.ए. कांजमी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से दो बातों को लेकर वाद विवाद होना जरूरी है एक तो तलाक का मामला दूसरा जायदाद में औरतों का हिस्सा. इन दोनों के बारे में कुरआन में विस्तार से बताया गया है और उससे अलग हटकर कोई बात मान्य नहीं होगी.

एमएसडी के महासचिव जावेद आनंद ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए और उसी के लिए आज यह प्रेस कांफ्रेंस बुलाई गयी है कि एमएसडी की आवाज जन-जन तक पहुंचे.

ज्ञात हो कि तलाक के मामले पर बहुत दिनों से यह बात उठाई जा रही है कि एक ही साथ तीन तलाक देना गलत है. मगर मुस्लिम संगठन इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. ४ जुलाई को जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस रीति में बदलाव

अक्षर कम्युनिकेशन्स प्रा.लि. के
प्रधान संपादक-निखिल